भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2935
दिनांक 18 मार्च, 2025/ 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से जारी निधि

†2935. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) द्वारा निभिन्न राज्यों को जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, भू-स्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित पांच राज्यों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल का वायानाड जिला बाढ़ और भू-स्खलन से प्रभावित हुआ था परन्तु वर्ष 2024 के दौरान उसे कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित नहीं की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित लौजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। 2024-25 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक में है।

लोक सभा अता.प्र.सं. 2935 दिनांक 18.03.2025

वर्ष 2024 में बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफानों के मद्देनजर आईएमसीटी ने नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। आईएमसीटी की रिपोर्टों के आधार पर, केंद्र सरकार ने 13 फरवरी, 2025 को इन राज्यों को एनडीआरएफ से 1554.99 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है, जो संबंधित राज्य के एसडीआरएफ में वर्ष के लिए उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन है। कुल 1554.99 करोड़ रुपये में से, आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 255.24 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपये और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

(ग) और (घ) : केरल के वायनाड में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर, केंद्र सरकार द्वारा गठित आईएमसीटी ने 8 अगस्त से 10 अगस्त, 2024 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ के लिए 153.47 करोड़ रुपये (एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन) की राशि, बचाव और राहत के लिए भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के हेलीकॉप्टरों की सेवा का उपयोग करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक रूप में हवाई बिलों के लिए सहायता और मलबे की सफाई के लिए वास्तविक व्यय, की मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केरल राज्य सरकार को 388.00 करोड़ रुपये (291.20 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 96.80 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा) की राशि आवंटित की गई है। केंद्रीय हिस्से की 145.60 करोड़ रुपये की पहली किस्त 31.07.2024 को जारी की गई। 01.10.2024 को राज्य को अग्रिम रूप से केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के 145.60 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई। इसके अलावा, महालेखाकार, केरल ने 1 अप्रैल, 2024 तक अपने एसडीआरएफ खाते में 394.99 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए राज्य के एसडीआरएफ खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

इसके अलावा, राज्य ने आपदा-पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) किया, जिसमें पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण योजना के लिए कुल 2219 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। केंद्र सरकार ने एक बहु-क्षेत्रीय टीम का गठन किया था और रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देशों के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है, जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

******

लोक सभा अता.प्र.सं. 2935 दिनांक 18.03.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ़) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ़) के तहत निधि का राज्यवार आवंटन और रिलीज को दर्शाने वाला विवरण (12.03.2025)।

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	राज्य	एसडीआरएफ़ से आवंटन			एसडीआरएफ़ से जारी		एनडीआरएफ़ से जारी
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का	कुल	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	
1.	आंध्र प्रदेश	1036.00	344.80	1380.80	518.00	518.00	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	231.20	25.60	256.80	115.60	--	--
3.	असम	716.00	79.20	795.20	358.00	358.00	--
4.	बिहार	1311.20	436.80	1748.00	655.60	655.60	--
5.	छत्तीसगढ़	400.00	133.60	533.60	--	--	--
6.	गोवा	10.40	3.20	13.60	5.20	--	--
7.	गुजरात	1226.40	408.80	1635.20	600.00#	--	--
8.	हरियाणा	455.20	151.20	606.40	227.60	227.60	--
9.	हिमाचल प्रदेश	378.40	41.60	420.00	189.20	189.20	66.92
10.	झारखंड	526.40	175.20	701.60	500.80#	--	--
11.	कर्नाटक	732.00	244.00	976.00	366.00	--	3454.22
12.	केरल	291.20	96.80	388.00	145.60	145.60	--
13.	मध्य प्रदेश	1686.40	561.60	2248.00	843.20	843.20	--
14.	महाराष्ट्र	2984.00	994.40	3978.40	1492.00	1492.00	--
15.	मणिपुर	40.00	4.00	44.00	38.80#	11.20	--
16.	मेघालय	60.80	6.40	67.20	59.60#	--	--
17.	मिजोरम	43.20	4.80	48.00	21.60	21.60	7.56
18.	नागालैंड	38.40	4.00	42.40	19.20	19.20	170.99
19.	ओडिशा	1485.60	495.20	1980.80	742.80	742.80	--
20.	पंजाब	458.40	152.80	611.20	229.20	--	--
21.	राजस्थान	1372.00	456.80	1828.80	686.00	686.00	--
22.	सिक्किम	47.20	4.80	52.00	23.60	23.60	221.12
23.	तमिलनाडु	944.80	315.20	1260.00	472.40	472.40	276.10
24.	तेलंगाना	416.80	138.40	555.20	208.40	208.40	--
25.	त्रिपुरा	63.20	7.20	70.40	31.60	40.00	174.97
26.	उत्तर प्रदेश	1791.20	596.80	2388.00	1748.40#	--	--
27.	उत्तराखंड	868.00	96.00	964.00	434.00	--	--
28.	पश्चिम बंगाल	936.00	312.00	1248.00	468.00	468.00	--
कुल योग		**20550.40**	**6291.20**	**26841.60**	**11200.40**	**7122.40**	**4371.88**

#=एसडीआरएफ़ के पिछले वर्ष के बकाया सहित।